



छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर-495001

E-mail-cgslsa.cg@nic.in, cgslsa@gmail.com

Phone- (07752) 220170, 222405 (NALSA Toll free 15100)



F. No/ 1403 /LADCS-23-05/2024

Bilaspur, Dated : 16/05/2025
19/05/2025

प्रति,

श्रीमान् प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विषय:- लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत कार्यालय हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन (कौंसिल) असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस के पद हेतु चयनित एवं प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन विषयक।

संदर्भ:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर कार्यालय से प्राप्त बंद लिफाफा दिनांक 21 मार्च, 2025 एवं पत्र क्रमांक 491/जि0वि0से0प्रा0/2024 बिलासपुर दिनांक 02.05.2025

विषयांतर्गत इस प्राधिकरण के पत्र क्रमांक/7490/LADCS-23-05/2024 बिलासपुर दिनांक 11.11.2024 के द्वारा संख्येत्तर मात्रा में अतिरिक्त रूप से लीगल एड डिफेंस कौंसिल (डिप्टी चीफ एवं असिस्टेंट) की नियुक्ति किये जाने के परिपालन में, संदर्भित पत्र के माध्यम से संलग्न प्राप्त बंद लिफाफों में तथा उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में लेख है कि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा जिले में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय, बिलासपुर के लिये, अतिरिक्त रूप से असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के 03 पद हेतु, पृथक-पृथक प्रेषित निम्नानुसार चयनित सूची एवं प्रतीक्षा सूची को, नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 की कंडिका-4 के प्रावधानानुसार पूर्णतया **संविदात्मक अनुबंध (Contractual Engagement)** नियुक्ति किये जाने हेतु, अनुमोदित किया गया है:-

असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल की चयन सूची

क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम
01	मनप्रीत चौधरी	ठाकुर सिंह चौधरी
02	बीना शर्मा	राजकुमार
03	यश दुबे	जय प्रकाश दुबे

असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल की प्रतीक्षा सूची

क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम
01	त्रिवेणी गढवाल	संतराम
02	सोमेश कुमार कश्यप	स्व.श्री कौशल सिंह कश्यप
03	अंकिता जांगड़े	अभिषेक जांगड़े
04	नीलम खान	इशलाम खान
05	सुष्टि शुक्ला	दुर्गेश कुमार शुक्ला

शर्त:-

1. असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल की पूर्णतया अनुबंधित संविदात्मक नियुक्ति माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक 15.05.2025 से 14.05.2026 तक की अवधि के लिये 01 वर्ष के लिये होगी। जिनका कार्यकाल/कार्यवधि नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका-4 के प्रावधानुसार तथा नालसा से प्राप्त जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा।
2. असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के मानदेय का निर्धारण, पूर्व में इस प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये, छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा पूर्व में निर्धारित जिले के शहरी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित क्लास-ए, क्लास-बी एवं क्लास-सी तीनों में जो आपके जिले के लिये पूर्व में निर्धारित हुआ है, चयन के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जावेगा।
4. नियुक्त किये गये असिस्टेंट लीगल एड कौंसिलों से नालसा से प्राप्त संविदात्मक अनुबंध (Contractual Engagement) पत्र की शर्तों को मान्य किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित प्रथमतः की जावे।

अनुबंध पत्र की प्रति पूर्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर को प्रेषित की गई है। उक्त अनुबंध पत्र में नालसा के पत्र क्रमांक F.No. L-27/2022-NALSA(Part File)/4678-4714 dated 27th March, 2024 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत तथा नालसा से प्राप्त पत्र क्रमांक F.No.L/27/2022/NALSA/415 dated, 16th April, 2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नीचे उल्लेखित अनुबंध की शर्तें में अनिवार्यतः सम्मिलित करते हुये अनुबंध तैयार किया जावे:-

"You will not be entitled to a regular government post, salary, or benefits, as the payment is based on honorarium or retainership, and not on a salary basis."

"आपको नियमित सरकारी पद या सरकारी वेतन, या सुविधाओं का अधिकार नहीं होगा क्यों मानदेय या रिटेनरशीट के आधार पर और वेतन के आधार पर नहीं।"

उपरोक्तानुसार अनुबंध की शर्तें एवं पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण अनुबंध की शर्तों को मान्य करते हुये, संविदात्मक अनुबंध पत्र नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका-4 के प्रावधान अनुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अनुबंधकर्ता के मध्य की जावेगी तथा अनुबंध पत्र में अनुबंधकर्ता के पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित, पूरा नाम एवं पता दिनांक सहित तैयार की जावे, अनुबंध की की एक प्रति इस प्राधिकरण को कार्यालय अभिलेख हेतु अनिवार्यतः प्रेषित की जावे।

5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के चयन समिति द्वारा तैयार की गई असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल पद हेतु, चयन सूची व प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन उपरांत, उक्त प्रतीक्षा सूची को माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक 15.05.2025 से 14.05.2026 तक की अवधि के लिये केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही प्रभावशील मानी जावेगी।
6. यदि कोई लीगल एड डिफेंस कौंसिल, पदभार ग्रहण नहीं करता है या पदभार ग्रहण करने के पश्चात् अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो उस स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के अधीन एवं **संविदात्मक अनुबंध (Contractual Engagement)** की शर्तों के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही कर, संबंधित का त्यागपत्र स्वीकार किये जाने की कार्यवाही की जावे, तथा स्वीकार किये गये त्यागपत्र का अनुमोदनार्थ हेतु छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर को पूर्ण विवरण एवं अभिलेखों के साथ प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

तदपश्चात् आपके द्वारा वरीयता सूची के अनुसार, विभिन्न पदों हेतु पृथक-पृथक तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को, अनुमोदन किये जाने उपरांत प्रतीक्षा सूची में से केवल निर्धारित प्रभावशील अवधि तक के लिये, लीगल एड डिफेंस कौंसिल, की नियमानुसार श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के द्वारा पूर्णतया: संविदात्मक अनुबंधित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण अनुबंध शर्तों के अधीन करेंगे तथा नियुक्ति की सूचना छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

7. जिले में अतिरिक्त रूप से नियुक्त किये जाने वाले असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों को नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
8. नियुक्त किये गये असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों को, नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य सुचारु रूप से संपादन किये जाने हेतु निर्धारित आचार संहिता का अक्षरतः पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार चयन सूची के अनुमोदन उपरांत अतिरिक्त रूप से नियुक्त असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों की अनुबंध शर्तों को मान्य करते हुये तथा इस प्राधिकरण द्वारा पूर्व एवं वर्तमान में जारी निर्देशों/शर्तों को मान्य किये जाने पर, अनुबंधित संविदात्मक नियुक्ति की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय द्वारा अनुमोदित)


19-05-2025
(लीलाधर साय यादव)

सदस्य सचिव

छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर